क्रम-संख्या-347

रजिस्ट्रेशन नम्बर-जी०-11/लाई०-
न्यूज पेपर/91/05-06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 10 दिसम्बर, 2007

अग्रहायण 19, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 2543/79-वि-1-07-1(क)53-2007

लखनऊ, 10 दिसम्बर, 2007

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 9 दिसम्बर, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 48 सन् 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है-

उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) अधिनियम, 2007

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 48 सन् 2007)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1999 का संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 1999 की धारा 4 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1999 की धारा 4 में,-

(क) उपधारा (1) के परन्तुक में शब्द "बीस से कम और चालीस से अधिक नहीं होगी" के स्थान पर शब्द "चालीस से अधिक नहीं होगी" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (4) में, खण्ड (ग) निकाल दिया जायेगा।

उद्देश्य और कारण

राज्य में जिला योजना समितियों को कार्यशील किये जाने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 1999) को संशोधित करके समितियों के गठन में सदस्यों की न्यूनतम संख्या के प्रतिबन्ध को हटाने और जिले के मुख्यालय पर स्थित समिति से नगर पालिका के नगर प्रमुख या अध्यक्ष की सदस्यता को समाप्त करने की व्यवस्था की जाये।

तदनुसार उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2007 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
सै0 मजहर अब्बास आब्दी,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
VIDHAYI ANUBHAG–1

No. 2543(2)/LXXIX–V–1–1(Ka)53-2007
Dated Lucknow December 10, 2007

NOTIFICATION
Miscellaneous

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Zila Yojana Samiti (Sanshodhan) Adhiniyam, 2007 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 48 of 2007) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 9, 2007 :–

THE UTTAR PRADESH DISTRICT PLANNING COMMITTEE (AMENDMENT) ACT, 2007

(U. P. Act No. 48 of 2007)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh District Planning Committee Act, 1999.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows :–

1. This Act may be called the Uttar Pradesh District Planning Committee (Amendment) Act, 2007. Short title

Amendment of section 4 of U.P. Act no. 32 of 1999

2. In section 4 of the Uttar Pradesh District Planning Committee Act, 1999,—

(a) in sub-section (1), in the proviso *for* the words "shall not be less than twenty and not more than forty" the words "shall not be more than forty" shall be *substituted;*

(b) in sub-section (4) clause *(c)* shall be *omitted.*

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to activate the District Planning Committees in the State it has been decided to amend the Uttar Pradesh District Planning Committee Act, 1999 (U.P. Act no. 32 of 1999) to provide for omitting the restriction of minimum number of members in constitution of Committees and abolishing the membership of the Nagar Pramukh or President of the Municipality from the Committee situated at the Headquarter of a district.

The Uttar Pradesh District Planning Committee (Amendment) Bill, 2007 is introduced accordingly.

By order,

S. M. A. ABIDI,

Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 768 राजपत्र–(1866)–2007–597 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 389 सा० विधायी–(1867)–2007–850 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)